

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)



शैक्षणिक अनुभाग

मानू/शैक्षणिक/एफ.ए15/2019-20/409

13 मार्च, 2020

आदेश

विषय : डीडीई/केन्द्रों के योग्य संकाय सदस्यों को शोध पर्यवेक्षण आवंटन के संबंध में।
संदर्भ : दिनांक 11.03.2020 को प्रभारी कुलपति द्वारा अनुमोदन।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानू, पीएच.डी. विनियम 2016 में निहित मानदंडों के अलावा डीडीई/केन्द्रों के योग्य संकाय सदस्यों को अनुसंधान अध्येताओं के आवंटन के लिए मानदंड के नियमन हेतु गठित समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसित मानदंडों को अनुमोदित किया गया।

- i) डीडीई/केन्द्रों के सभी इच्छुक संकाय सदस्य अपने संबंधित विषय/विधा/डीन की विभागीय अनुसंधान समिति (डीआरसी) को शोध पर्यवेक्षण करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, विज्ञान विषयों की दशा में संबंधित क्षेत्र में शैक्षणिक कार्य/प्रकाशनों के विवरण के साथ जमा कर सकते हैं।
- ii) डीडीई/केन्द्रों के सभी डीआरसी अनुमोदित योग्य संकाय सदस्यों को शोध पर्यवेक्षकों के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा और इस तथ्य के बावजूद संबंधित विषय/विधा की डीआरसी में शामिल किया जाएगा कि शोध अध्येता को आवंटित किया गया है या नहीं।
- iii) विभागीय अनुसंधान समिति(डीआरसी) द्वारा रिक्ति की उपलब्धता के अधीन, डीडीई/केन्द्रों के संकाय सदस्यों के विशेषज्ञता के क्षेत्र को शोध अध्येताओं के आवंटन के लिए विचार में लिया जाएगा।

सेवा में

1. डीडीई/केन्द्रों के सभी संकाय सदस्य
2. सभी संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
3. कुलपति/कुलसचिव कार्यालय
4. निदेशक, प्रवेश निदेशालय
5. परीक्षा नियंत्रक

प्रभारी कुलसचिव

dr